राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र. दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सचिवालय
9वां तल–ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या : 130

दिनांक : 08/06/2018

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री पवन कुमार शर्मा

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या सरकार ने सड़क दुर्घटना आदि में घायलों को प्राईवेट अस्पतालों में ले जाने पर समुचित ईलाज में आने वाली कठिनाईयों का कोई अध्ययन करवाया है;	जी हां, परंतु इसका रिपोर्ट अभी बहुप्रतीक्षित है।
ख)	यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिकिया है;	
ग)	क्या यह सत्य है कि सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को 200/–रूपये ईनाम देने की भी घोषणा की है;	हॉ यह सत्य है कि घायलों को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को सरकार ने इनाम जारी किया है लेकिन यह इनाम 2000/– रूपये प्रति व्यक्ति **(RTA victim)** है।
घ)	यदि हॉ तो अब तक कितने व्यक्तियों को यह ईनाम दिया गया है;	अस्पतालो को धन और प्रमाणपत्र दिए गए है । योजना कुछ सप्ताह पहले ही शुरू की गई है । अस्पतालों से प्राप्त होने पर लाभार्थियों के विवरण की जानकारी सूचित की जायेगी ।
ड.)	क्या घायलों को पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक का पूरा ईलाज प्राईवेट अस्पताल को करना होता है या केवल प्राथमिक उपचार के बाद प्राईवेट अस्पताल घायल को घर भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है;	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा 15–02–2018 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया जिसमें सारे पंजीकृत नर्सिग होम तथा प्राइवेट अस्पताल को निर्देश दिया गया कि सड़क दुर्घटना, एसिड अटैक तथा थर्मल बर्न इंजरी के मेडिको–लीगल विक्टिम का पूर्ण इलाज, उपलब्ध सुविधा के अंतर्गत, देना अनिवार्य है।
च)	इस प्रकार किए गए इलाज के खर्चे की प्रतिपूर्ति किसके द्वारा वहन की जाती है; और	दिल्ली आरोग्य कोष द्वारा ।
छ)	निजी अस्पताल द्वारा घायल के इलाज में कोताही/आनाकानी किये जाने पर घायल व उसके परिवार को त्वरित समाधान के रूप में क्या सहायता प्राप्त है जिससे कि उसे सही समय पर अबाधित इलाज मिल सके?	निजी अस्पताल द्वारा घायल के इलाज में कोताही/आनाकानी किए जाने पर घायल व उसके परिवारजन त्वरित समाधान के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, दिल्ली सरकार को संपर्क कर सकते हैं।

(राजीव यदुवंशी)
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
दिल्ली सरकार

Raajiv Yaduvanshi
Pr. Secretary
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of [illegible] Delhi
9th Level, Delhi [illegible], New Delhi